

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ बाबत बंटवारा
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- मु0न0 52/2023 उनवान बलदेवा बनाम प्रणव वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम मण्डावा ख.न. 1715 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.न. 1716 दिनांक 0.05 हैक्टर, ख.न. 1717 रकबा 0.56 हैक्टर, ख.न. 1718 रकबा 0.49 हैक्टर, ख.न. 1719 रकबा 2.52 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	प्रणव पूनिया पुत्र सज्जन सिंह पूनिया49/150, सज्जनसिंह पूनियां पुत्र रणजीत हि. 71/150 जाति जाट सा. मेहरादासी खातेदार राहिन हि. 71/150 बीओबी मण्डावा	ग्राम मण्डावा		
		1715 मी.	0.05	बारानी
		1717 मी.	0.29	-2
		1718	0.49	
		1719मी.	2.186	
योग		किता 04	3.016	-
मण्डावा				
2	1. बलदेवराम थलिया पुत्र विधाधर थलिया जाति ब्रहामण सा. देह खातेदार	1715 मी.	0.10	बारानी
		1716	0.05	-2
		1717 मी.	0.27	
		1719 मी.	0.3340	
		योग	किता 4	0.7540

लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
मण्डावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुझुनु

पीठासीन अधिकारी - मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 52/2023/ उनवान बलदेवा बनाम प्रणव वगै0

बलदेवा वादी

बनाम

प्रणव वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 28.11.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 52/2023 उनवान बलदेवा बनाम प्रणव वगै0 बनाम में वाद वादी दिनांक 15.02.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2024/1406 दिनांक 08.10.24 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम मण्डावा ख.न. 1715 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.न. 1716 दिनांक 0.05 हैक्टर, ख.न. 1717 रकबा 0.56 हैक्टर, ख.न. 1718 रकबा 0.49 हैक्टर, ख.न. 1719 रकबा 2.52 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	प्रणव पूनिया पुत्र सज्जन सिंह पूनिया49/150, सज्जनसिंह पूनिया पुत्र रणजीत हि. 71/150 जाति जाट सा. मेहरादासी खातेदार राहिन हि. 71/150 बीओबी मण्डावा	ग्राम मण्डावा		
		1715 मी.	0.05	बारानी
		1717 मी.	0.29	-2
		1718	0.49	
		1719मी.	2.186	
योग	किता 04	3.016	-	
मण्डावा				
2	4. बलदेवराम थलिया पुत्र विधाधर थलिया जाति ब्रहामण सा. देह खातेदार	1715 मी.	0.10	बारानी
		1716	0.05	-2
		1717 मी.	0.27	
		1719 मी.	0.3340	
		योग	किता 4	0.7540

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर कर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुझुनु
मण्डावा